

21/9/24

पत्रावली पेश हुई, वकील वकील अनुपस्थित। वकील
वकील को साक्ष्य वकील में पत्रावली द्वारा दिए गये,
अंतिम द्वारा आधारित में की दिया जा चुका
है। बार-बार धारणाएँ लगाई गईं, आदेश
नहीं दिये। पत्रावली धदन लक्ष्मी / धरम-पैली-
में खारिज की जाती है। प्रस्ताव शुभ्र लेख
में धर ले-पत्र ले

सहायक कलेक्टर एवं
उपब्रह्म अधिकारी, भूपालसमगर

